

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र / 2 / 13

जयपुर, दिनांक : 20.5.2013

--: आदेश :-

निमाकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सामने अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :

क्र. सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री विजय प्रताप सिंह कनिष्ठ लिपिक गृह (युप-4) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/ए/18, गांधीनगर	31.1.2040	36/11
2	श्री हनुमान राहाय रैगर कनिष्ठ लिपिक साक्षरता एवं सातत् शिक्षा विभाग, जयपुर	5/68, गांधीनगर	31.10.2035	114/06
3	श्री अतिक अहमद अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जालूपुरा, जयपुर	5/107, गांधीनगर	30.9.2035	115/06
4	श्री हेमन्त सिंह परिहार कनिष्ठ लिपिक विभागीय जांच विभाग, शारन राजिवालय, जयपुर	5/119, गांधीनगर	31.3.2043	38/11

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः विरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास रथान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन रथान पर निजी आवास बन जाने /कर करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- वैकिउक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन रवीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की रामाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- राम्बधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजाने का अम करायें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व स्वदित अधिकारी अभियन्ता को अहं धाषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य राजदरय के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्णित/कर नहीं किया है।
- उपरोक्त की अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राम्य-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
- क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री विजय प्रताप सिंह से सामान्य सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 75/- (अक्षरे पिंवेत्तर रूपये नात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल देरवा)
शारन रहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलकटर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेव साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशाखी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन रवा० अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गौंधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निगमण विभाग चौकी गौंधीनगर, जयपुर।
10. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।



(मनपूरन बैरता)

शासन सहायक सचिव